

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन संख्या- 10/2016, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना, बिहार के अन्तर्गत उप निदेशक, आई.टी. के रिक्त 01 (एक) राजपत्रित पद (अनारक्षित) पर सीधी नियुक्ति हेतु सुपात्र उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. वेतनमान :- रु. 15600-39100 + ग्रेड पे- रु. 6600/-

3. शैक्षणिक योग्यता :-

आवश्यक योग्यता (Qualification Required)	अनुभव (Experience)
कम्प्यूटर/आई.टी. में एम.ई./एम.टेक. एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों में तीन वर्षों तक कार्य करने का अनुभव। या कम्प्यूटर/आई.टी. में बी.ई./बी.टेक. एवं मान्यताप्राप्त संस्थानों में सात वर्ष का कार्यानुभव।	कार्यानुभव विभिन्न लोक सेवा आयोग/केन्द्र एवं राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन शासकीय/अर्द्ध-शासकीय संस्थानों में कम्प्यूटर/आई.टी. प्रक्षेत्र में कार्य करने का अनुभव, उक्त डिग्री प्राप्त करने के बाद की तिथि का ही मान्य होगा।

4. उम्र सीमा - दिनांक 01.08.2015 को अधिकतम, अनारक्षित- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष)- 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)- 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।

उक्त निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी वर्गों के लिये समान रूप से कार्यानुभव के समतुल्य आयोग द्वारा 07 (सात) वर्षों की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस छूट के बाद दिनांक 01.08.2015 को अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होगी :-

(क) अनारक्षित वर्ग- 37 + 07 = 44 वर्ष

(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग - 40 + 07 = 47 वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) - 40 + 07 = 47 वर्ष

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 + 07 = 49 वर्ष।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों, जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए उक्त अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्त कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. आरक्षण (आरक्षित पद रहने की स्थिति में):-

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी, आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति-सह-क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए जाति-सह-क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि के माने जायेंगे।

6. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 25/- (पच्चीस) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 75/- (पचहत्तर) रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों सहित अन्य सभी राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/- (एक सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 150/- (एक सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। अभ्यर्थी विशेष का चालान ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के बाद उपलब्ध होगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करेंगे एवं शुल्क जमा करेंगे। उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPS's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

7. स्तम्भ (कॉलम) 09 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करेंगे जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

8. चयन का आधार :- शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कोटिवार रिक्ति के 10 गुणा उम्मीदवारों को रिक्ति एवं पद के अनुसार यथास्थिति शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर तैयार किए गए मेधा सूची से मेधा क्रम के अनुसार कोटिवार साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(i) शैक्षिक योग्यता के लिए कुल 65 अंक निर्धारित हैं, जिसका विभाजन निम्न प्रकार होगा :-

क्रमांक	योग्यता	अधिकतम देय अंक
1.	मैट्रिक	10 अंक
2.	इंटरमीडिएट	10 अंक
3.	बी.ई./बी.टेक.	25 अंक
4.	एम.ई./एम.टेक.	20 अंक
कुल		65 अंक

शैक्षिक योग्यता अन्तर्गत प्रत्येक स्तर के लिए अधिकतम अंक को 100 (सौ) प्रतिशत मानते हुए अभ्यर्थी को प्राप्त वास्तविक प्रतिशत के आधार पर अधिभार अंकों की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए :- यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 60 प्रतिशत अंक आया हो, तो वहां उसे $60 \times 10/100 = 06$ अंक देय होगा।

(ii) अर्हता के लिए कार्यानुभव पर शून्य तथा शैक्षणिक संस्थानों या परीक्षा संचालन करने वाले संस्थानों में कम्प्यूटर/आई.टी. प्रक्षेत्र में कार्यानुभव पर 15 (पन्द्रह) अंक:- निर्धारित न्यूनतम कार्यानुभव पर स्वमेव कोई अंक अधिभार देय नहीं होगा। मगर कार्यानुभव यदि विभिन्न लोक सेवा आयोग में/केन्द्र एवं राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन शासकीय/अर्द्ध-शासकीय अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों या परीक्षा संचालन करने वाले संस्थानों में कम्प्यूटर/आई.टी. प्रक्षेत्र में परीक्षा संचालन से संबंधित कार्यानुभव हो, तो प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 05 (पाँच) अंक की दर से अधिकतम 15 (पन्द्रह) अंक अतिरिक्त अधिभार के रूप में दिए जाएंगे। कार्यानुभव के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

(iii) वैसे उम्मीदवार, जिनके अंक पत्र प्रमाण-पत्रों में श्रेणी की जगह CGPA अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से CGPA को प्रतिशत में परिवर्तित करने का फार्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके CGPA को AICTE के फार्मूला $(CGPA-0.75) \times 10$ के आधार पर प्राप्त अंक प्रतिशत की गणना की जाएगी।

(iv) साक्षात्कार के लिए अधिकतम 20 (बीस) अंक :- रिक्त पद के विरुद्ध चयन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प-सह-पठित ज्ञापांक- 2374, दिनांक 16.07.2007 में निहित प्रावधानों के आलोक में साक्षात्कार हेतु योग्यता प्रदायी न्यूनतम अर्हतांक कोटिवार निम्न रूप से निर्धारित की जाती है :-


सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर-01	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला वर्ग एवं नि:शक्त	32 प्रतिशत

9. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश :-

(i)

1.		ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की तिथि	:-	02.06.2016 से
2.	(i)	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	:-	02.06.2016 से 10.06.2016 तक
	(ii)	बैंक चालान डाउनलोड करने की तिथि	:-	02.06.2016 से 10.06.2016 तक
	(iii)	बैंक में चालान जमा करने की तिथि	:-	02.06.2016 से 10.06.2016 तक
	(iv)	डैशबोर्ड पर चालान विवरणी भरने की तिथि	:-	02.06.2016 से 10.06.2016 तक
3.		ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि	:-	03.06.2016 से 14.06.2016 तक
4.		आयोग कार्यालय में निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त होने की अंतिम तिथि	:-	24.06.2016 को संध्या 05:00 बजे तक

- (ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश इस विज्ञापन के साथ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (iii) उम्मीदवारों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि बैंक में चालान राशि जमा करने के बाद उसी दिन डैश बोर्ड पर चालान विवरणी अंकित कर लेंगे। चालान विवरणी अंकित करने के 24 घंटे बाद ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र खुलेगा। उम्मीदवार दिनांक 10.06.2016 तक निश्चित रूप से चालान विवरणी डैश बोर्ड पर अंकित कर लें।
- (iv) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (v) उम्मीदवार अपने हाल का खिंचा हुआ एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे।
10. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र के निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि (14.06.2016) के पूर्व का होना आवश्यक है।
11. इस सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
12. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र:
- (i) विहित आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित (स्वअभिप्रमाणित) हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में अनिवार्यतः क्रमवार संलग्न करेंगे:-
- 1) मैट्रिक का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के लिए) एवं अंक पत्र;
 - 2) इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र;
 - 3) बी.ई./बी.टेक. एवं एम.ई./एम.टेक. प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र तथा CGPA Conversion प्रमाण पत्र;
 - 4) विभिन्न लोक सेवा आयोग/केन्द्र एवं राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन शासकीय/अर्द्ध-शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थानों में कम्प्यूटर/आई.टी. प्रक्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कम से कम 03 (तीन) वर्षों/07 (सात) वर्षों का कार्यानुभव तथा अंक अधिभार हेतु इन्हीं संस्थानों के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों या परीक्षा संचालन करने वाले संस्थानों में कम्प्यूटर/आई.टी. प्रक्षेत्र में कार्यानुभव का प्रमाण पत्र, जो संबंधित संस्थान से निर्गत होना अनिवार्य होगा एवं उसमें परीक्षा संचालन संबंधी कार्य का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होगा। आवेदन पत्र के साथ विहित प्रमाण-पत्र में ही अभ्यर्थी कार्यानुभव प्रमाण-पत्र समर्पित करेंगे;
 - 5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति-सह-क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र;
 - 6) बैंक में जमा चालान की मूल BPSIC प्रति;
 - 7) सभी आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।
- (ii) जिस लिफाफा में आवेदन पत्र भेजेंगे, उस लिफाफा के ऊपर पता पर्ची (Address Slip) प्रेषक का पर्ची (Sender's Slip) चिपका कर सभी अनुलग्नकों के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- (iii) अभ्यर्थी ऑनलाइन से भरे गए A4 Size के पेपर पर आवेदन पत्र को प्रिन्ट कर सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं बैंक चालान की प्रति संलग्न कर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से इस प्रकार भेजेंगे कि वह आयोग कार्यालय में शुक्रवार, दिनांक 24.06.2016 को संध्या 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाए। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी अनुलग्नक के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होने पर ऐसे आवेदनों पर आयोग कोई विचार नहीं करेगा, भले ही अभ्यर्थी द्वारा बैंक चालान के साथ ऑनलाइन आवेदन क्यों न समर्पित किया गया हो।
- (iv) अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।


 30/5/16
 संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
 बिहार लोक सेवा आयोग, पटना